	राजस्थान राज – पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 13, शुक्रवार, शाके 1925–जुलाई 4, 2003 Asadha 13, Friday, Saka 1925 -- July 4, 2003	

भाग 1(क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में समस्त विज्ञप्तियां।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 1, 2003

संख्या एफ. 23 (2) चिकि. एवं स्वा.। ग्रुप–3। 2003। पार्ट :– गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प : 12 (38) चिकि. 5194–पार्ट–III दिनांक 25 जुलाई, 2001 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति निम्नानुसार करती है :–

1. निदेशक (परिवार कल्याण); चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर – अध्यक्ष
2. महिला संगठन से सम्बन्धित एक विख्यात महिला कार्यकर्ता (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) – सदस्य
3. राज्य के विधि विााग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) – सदस्य

राज्यपाल की आज्ञा से,
डी.एन. पाण्डे,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।